# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 30, शक सम्वत् 1938)

## विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

## अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 ) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 97 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 120 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 2. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान होने से कार्यवाही स्थगित की जाना

प्रश्नकाल के दौरान, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नेता के संबंध में की गई कथित टिप्पणी के विरोध में श्री सत्यप्रकाश सखवार के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण ने दलीय चिह्नयुक्त वेशभूषा में फोटो प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण भी नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए एवं अध्यक्षीय निर्देशानुसार वापस अपने आसनों पर गए.

(अत्यधिक व्यवधान के कारण 11.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.29 बजे पुन: समवेत हुई. पुन: बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण द्वारा व्यवधान करने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 11.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.57 बजे पुन: समवेत हुई. जिसमें प्रश्नकाल की कार्यवाही पूर्ण कर अगला विषय लिया गया)

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य ने पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के बनखेड़ी में कृषकों द्वारा शहतूत की लगाई कलमों को विक्रय तथा एन जी ओ द्वारा भुगतान न किये जाने,

(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले के त्यौंथर नगर पालिका अधिकारी पर कार्रवाई न की जाना,

(3) कुँवर सौरभ सिंह, सदस्य ने कटनी नदी का पुल जर्जर होने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर की मौरस पासैन राज्यमार्ग पर अहेली नदी की अप्रोच रोड का निर्माण किये जाने,

(5) श्री मधु भगत, सदस्य ने परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लवेरी से चाचेरी मार्ग एवं पुलिया निर्माण कराये जाने,

(6) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने खाचरोद जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अधिकारी के द्वारा शौचालय निर्माण में गड़बड़ी की जाने,

(7) डॉ मोहन यादव, सदस्य ने उज्जैन नगर को पर्यटन निगम की सूची में हेरिटेज शहर में नहीं रखे जाने.

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

### 4. शून्यकाल में उल्लेख

**(1) भोपाल में बाढ़ पीड़ितों को मिट्टी मिला गेहूं वितरण की जांच विषयक**

सर्वश्री निशंक कुमार जैन एवं जयवर्द्धन सिंह, सदस्यगण द्वारा 20 जुलाई 2016 की चर्चा के संदर्भ में, शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – इस संबंध में विधिवत जांच करके चर्चा भी कराई जाए. आसंदी द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर कल शून्यकाल में मंत्री महोदय ने जांच हेतु आश्वस्त किया है. चर्चा के संबंध में आप विषय को नियमानुरूप लिखकर दे दीजिये, इसको देखेंगे.

## (2) मध्यप्रदेश में हुए व्यापम प्रकरण में एस.टी.एफ को प्राप्त सीडी को सीबीआई को सौंपे जाने विषयक

डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – मध्यप्रदेश में व्यापम प्रकरण में एस.टी.एफ जांच में प्राप्त सीडी सीबीआई को नहीं सौंपी गई है, इसलिये रसूखदार अपराधी बचे हुए हैं. अत: सरकार से अनुरोध है कि वह सौंपी जाये ताकि असली अपराधियों पर कर्रवाई हो सके.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराया गया कि यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचारीधीन है, उस विषय को यहां पर नहीं ले सकते हैं.

## (3) पन्ना जिले में सूखा पीड़ित किसानों को नि:शुल्क राशन वितरित न किया जाना

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – सूखा पीड़ित किसानों को नि:शुल्क राशन वितरण की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी लेकिन वितरण नहीं किया है. मेरे प्रश्न के उत्तर में शासन ने इसको स्वीकार भी किया है. कृपया सरकार उसको संज्ञान में लेवे.

## (4) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेघलादीप गांव में दूषित पेयजल से जनता के हैजे से पीड़ित होने विषयक

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेघलादीप गांव में अधिकांश लोग दूषित पेयजल पीने के कारण हैजे से पीड़ित हो गए है. मैंने कल सूचना दी थी, पूरे गांव में 18 महीने से बिजली भी नहीं है.

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – 19 जुलाई, 2016 को 'गुरु पूर्णिमा' के कारण विधानसभा अवकाश घोषित किया गया था. उस दिन का प्रश्नोत्तर और कार्यवाही के विषयों को 29 जुलाई, 2016 के बाद लेने के लिए, कांग्रेस दल के सदस्यों ने आवेदन दिया हुआ है. आसंदी से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आई है.
अध्यक्ष महोदय द्वारा उनको अवगत कराया गया कि वे प्रश्नोत्तर पटल पर आ गए हैं.

## 5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने -

(क) जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर म.प्र. द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) एवं

(ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां)

पटल पर रखे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन हेतु जारी की गई निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-22-13-15-आठ, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015, एवं

(ख) क्रमांक एफ 22-13-2015-आठ, दिनांक 12 फरवरी, 2016 (शुद्धि पत्र)

पटल पर रखीं.

## 6. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य ने शाजापुर जिले में स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु हितग्राहियों को राशि का भुगतान न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

## 7. बहिर्गमन

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य द्वारा आसंदी से निवेदन किया गया कि उनके दल के सदस्यगण ने जो निन्दा प्रस्ताव दिया है उसको पारित कराएं. अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया कि उस प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार करेंगे.

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा निन्दा प्रस्ताव को सदन में पारित न करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

## 8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

### गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्दश प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्दश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| क्रमांक | अशासकीय संकल्प क्रमांक | माननीय सदस्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|
| 1. | क्रमांक -38 | श्री यशपाल सिंह सिसोदिया | 45 मिनिट |
| 2. | क्रमांक – 39 | श्रीमती रंजना बघेल | 45 मिनिट |
| 3. | क्रमांक – 13, 19, 23, 28, 40 | सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, प्रदीप अग्रवाल, रामलल्लू वैश्य, दिनेश राय, सुखेन्द्र सिंह | 1 घण्टा |

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के चतुर्दश प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

## 9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(2) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(3) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर )
(4) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-सदस्य, मुरैना)
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(6) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(7) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(8) श्रीमती योगिता नवल सिंह बोरकर, (जिला-खण्डवा)
(9) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(10) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(11) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(13) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)

## 10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

### प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों से स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई. विषय की गंभीरता एवं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैंने स्थगन/ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को समामेलित करते हुए नियम-139 के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा कराने का निर्णय लिया है. उक्त विषय पर 16 माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इस चर्चा में पहले वे माननीय सदस्य भाग ले सकेंगे जिन्होंने इस विषय पर सूचना दी हैं. तत्पश्चात् अन्य माननीय सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकेंगे. तद्नुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील

**सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.**

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) श्री शंकरलाल तिवारी

**(1.30 बजे से 3.09 बजे तक अन्तराल)**
**उपाध्यक्ष महोदय (डॉं राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

## 11. अध्यक्षीय व्यवस्था

**प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के दौरान नगरीय प्रशासन आदि विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति विषयक**

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर नियम 139 के अधीन चर्चा के दौरान नगरीय प्रशासन, जल संसाधन एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की दीर्घा में अनुपस्थिति के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – आप अधिकारियों को संबोधित नहीं करते हैं. राजस्व, कृषि एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं जिम्मेदार लोग बैठे हैं.

## 12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

(5) श्री मुकेश नायक

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

(6) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री
(7) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल
(9) श्री सुखेन्द्र सिंह
(10) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(11) श्री मधु भगत
(12) श्री यादवेन्द्र सिंह
(13) श्री सोहन लाल बाल्मीक
(14) श्री जतन सिंह उईके
(15) श्री दिव्यराज सिंह
(16) श्री निशंक कुमार जैन
(17) श्री प्रेम सिंह
(18) श्री गिरीश भण्डारी

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

(19) डॉ. रामकिशोर दोगने
(20) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 31, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**अवधेश प्रताप सिंह,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल:**
**दिनांक: 21 जुलाई, 2016**